कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमण्डल, सागर

☎ 07582-236215, Email-dfotssagar@mp.gov.in

// वर्ष 2025-26 में किराये के वाहन प्रदाय करने हेतु निविदा शर्तें //

भाग - 1

1. निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश शासन की बेवसाईट https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें । निविदा संबंधी सामान्य जानकारी वन विभाग की बेवसाईट https://mpforest.gov.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।
2. यह निविदा वनमंडल दक्षिण सागर (सामान्य) अंतर्गत परिक्षेत्रों में वाहन किराये से लगाने जाने हेतु आमंत्रित की जा रही है ।
3. वाहन किराये से लगाये जाने हेतु आमंत्रित निविदा बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है । निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी बेवसाईट पर ही दी जावेगी ।
4. निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है -

विवरण	दिनांक	समय
Tender Publishing Date and Time	Date 19/11/2025 Time 02:00 PM	निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है ।
Tender Sale Start Date and Time	Date 19/11/2025 Time 02:30 PM	
Pre Bid Meeting Date	Date 24/11/2025 Time 12:00 PM	
Bid Submission Start Date and Time	Date 19/11/2025 Time 03:00 PM	
Bid Submission Close Date and Time	Date 03/12/2025 Time 02:00 PM	
Bid Openning Date and Time	Date 04/12/2025 Time 03:00 PM	

5. यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदायें आगामी कार्य दिवस पर दोपहर 02 बजे खोली जावेगीं ।
6. **प्रक्रिया 1** : निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रू. 1000.00 (रूपये एक हजार रूपये मात्र) है तथा सुरक्षा सत्यंकार की राशि रूपये 150000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) है, इन्हें आनलाईन जमा किया जाना है । जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
7. **प्रक्रिया 2** : तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी । तकनीकी निविदा के भाग - 2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन पर अपलोड किये जाने हैं ।
8. **प्रक्रिया 3** : तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी । तकनीकी निविदा में भाग - 2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन पर अपलोड किये जाने हैं । वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है ।
9. **प्रक्रिया 4** : वित्तीय निविदा में चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रूपये 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा साथ ही चाहे गये EMD राशि की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर. जो कि वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के पक्ष में देय हो, अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी ।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, वनमण्डल

E:\Local Disk\Harish\Year 2025-26\E TENDER\Viechle Nivida 2025-26.doc2

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमण्डल, सागर

☎ 07582-236215, Email-dfotssagar@mp.gov.in

निम्नानुसार दस्तावेंजों को फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कापी अपलोड की जाना है -

भाग - 2

क्रं.	विवरण
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) की जमा रसीद
2	सत्यंकार (EMD) की राशि रूपये 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार रूपये) की जमा रसीद
3	प्रत्येक निविदाकार द्वारा ब्लेक लिस्ट न होने का शपथ पत्र - राशि रू. 100/- के स्टाम्प पेपर पर
4	किराये पर लगाये जाने वाले समस्त वाहनों के पंजीयन की छायाप्रति
5	आयकर कार्ड की छायाप्रति
6	आधार कार्ड की छायाप्रति
7	समस्त वाहनों के टैक्सी पंजीयन, बीमा, पी.यू.सी., फिटनेस प्रमाण पत्र, वायु प्रदूषण, की छायाप्रति
8	समस्त वाहनों के ड्राईवरों के नाम, मोवाईल नम्बर, ड्राईवर का ड्राईविंग लायसेंस एवं ड्राईवर के आधार कार्ड की छायाप्रति
9	निर्धारित फार्म ए- 1

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, वनमण्डल

E:\Local Disk\Harish\Year 2025-26\E TENDER\Viechle Nivida 2025-26.doc3

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें
भाग - 3

1. वाहन किराये पर लगाये जाने के लिये नियमानुसार जी.एस.टी./सर्विस टैक्स (सेवा कर दाता) व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है, सर्विस टैक्स हेतु पंजीकरण न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिये जाने संबंधित प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. निविदा संबंधित समस्त दस्तावेज आनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जावेगें ।
3. निविदा में कोई भी संशोधन बेवसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा ।
4. वाहन, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में अनिवार्य रूप से पंजीबद्ध होना चाहिये ।
5. वाहन अच्छी हालत में एवं वाहन का मॉडल वर्ष जनवरी 2022 या बाद के वर्ष का होना चाहिये ।
6. निविदाकार को निविदा के भाग 02 अनुसार आवश्यक समस्त दस्तावेज, हस्ताक्षर सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
7. वाहन को 24 घंटो के लिये उपलब्ध कराना होगा एवं वाहन 24 घंटे विभाग के अधिकारियों के आधिपत्य में होगा ।
8. वाहन पर नियुक्त ड्राईवर का वेतन, वाहन का मेन्टेनेन्स, आयल सर्विस, टैक्स, आयकर, कार्मिशियल टैक्स, परमिट शुल्क, बेरियर शुल्क, बीमा सहित अन्य समस्त व्यय निविदिाकार को स्वयं वहन करना होगा । निर्धारित व स्वीकृत किराये की राशि के अलावा अन्य किसी भी राशि का भुगतान वनमंडल दक्षिण सागर (सामान्य) द्वारा नहीं किया जावेगा ।
9. स्वीकृत निविदा उपरांत उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-टयूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित वाहन मालिक/संस्था की होगी ।
10. वाहन की निविदा स्वीकृत होने पर 03 दिवस के अंदर संबंधित निविदाकार द्वारा वाहन विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । यदि सफल निविदिाकार द्वारा विभाग को वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में शर्तों का उल्लंघन मानकर उनके द्वारा जमा प्रतिभूमि की राशि राजसात की जावेगी ।
11. आयकर एवं अन्य समस्त देयकरों के भुगतान की राशि वनमंडल से देय भुगतान से काटी जावेगी ।
12. निविदाकार को कहीं भी ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिये, इस बावत् शपथ पत्र राशि रू. 100/- के स्टाम्प पेपर पर निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
13. नैसर्गिक एवं प्राकृतिक दुर्घटना के लिये दक्षिण सागर वनमंडल (सामान्य) की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

14. निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल (सामान्य) को होगा ।

15. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार के यात्रा देयक की पात्रता नहीं होगी । वेतन, यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान वाहन मालिक/संस्था द्वारा ही किया जावेगा ।

16. किराये पर लिये गये वाहन की सेवायें संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन को कार्यालय से हटाने का संपूर्ण अधिकार वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सामान्य) को होगा ।

17. **किराये पर लिये गये वाहनों में जी.पी.एस. अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिये ।**

18. **किराये पर लिये गये वाहनों में Front and Rear कैमरे (गश्ती के दौरान घटनाओं को Capture करने के लिये) अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिये ।**

19. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । यदि निविदाकार अनुबंध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अरनेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) शासन के पक्ष में राजसात करते हुये काली सूची में नाम दर्ज कर 03 वर्षों के लिये शासकीय विभागों में भाग लेने हेतु आयोग्य घोषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

20. वाहन की दुर्घटना, तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये वनमंडल दक्षिण सागर उत्तरदायी नहीं होगा ।

21. वित्तीय निविदा में चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रूपये 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा साथ ही 10 वाहनों हेतु राशि रू. 1,50,000/- (अंकन एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफ.डी.आर. जो कि वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के पक्ष में देय हो, अनिवार्य रूप से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी ।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल (सामान्य) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

23. मुख्यालय द्वारा वाहन किराये से संबंधित नवीन दिशा निर्देश जारी होने की स्थिति में उक्त निर्देश प्रत्येक निविदाकार को मान्य करने होगें ।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, वनमण्डल

E:\Local Disk\Harish\Year 2025-26\E TENDER\Vlechle Nivida 2025-26.docx

// प्रपत्र A-1 //
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर (सामान्य) वनमंडल, सागर

विषय :- *किराये के गश्ती वाहनों हेतु निविदा वर्ष 2025-26*

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	
1	फर्म/व्यक्ति का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	पत्र व्यवहार के लिये ई-मेल आई डी	
4	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
5	पदनाम	
6	मोबाईल नम्बर	
7	पत्र व्यवहार हेतु व्हाट्सएप नम्बर	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2" एवं "3" में दर्शित शर्तों के अधीन अपनी सहमति प्रदान करते हैं ।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील